XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यू 1321–एक/10 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह पुनरावलोकन मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक निग. 439–दो/06 में पारित आदेश दिनांक 8–9–09 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।	
	2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	
	1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के प चात भी नहीं मिल पाई थी.	
	2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती.	
	3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।	
	आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन अवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों ।	
	(एम.के. सिंह) सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र.क्र. /90 पुनरावलोकन रेखु - 1321-I/2010

1. प्रेमनारायण दीक्षित पुत्र श्याम बाबू दीक्षित
2. महेशनारायण दीक्षित पुत्र श्यामबाबू दीक्षित
3. प्रमोद कुमार पुत्र प्रताप नारायण दीक्षित
4. प्रभात पुत्र प्रतापनारायण दीक्षित
5. विनोद कुमार पुत्र विष्णुदत्त दीक्षित
6. अरूण कुमार पुत्र विष्णुदत्त दीक्षित
7. प्रमोद कुमार पुत्र विष्णुदत्त दीक्षित
8. कृष्ण कुमार पुत्र विष्णुदत्त दीक्षित
9. अजीत कुमार पुत्र विष्णुदत्त दीक्षित
10. अजय कुमार पुत्र विष्णुदत्त दीक्षित

सभी निवासी ग्राम परा, तह0 अटेर, जिला भिण्ड

— प्रार्थीगण

विरूद्ध

गुरूनारायण पुत्र गंगाधर प्रसाद
निवासी ग्राम परा, तह0 अटेर, जिला भिण्ड

— प्रतिप्रार्थी